

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3033
दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

रॉबर्ट्सगंज में निर्बाध विद्युत आपूर्ति

3033. श्री छोटेलाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले सहित रॉबर्ट्सगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कई ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से चालू नहीं है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) रॉबर्ट्सगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पूरी और निर्बाध विद्युत आपूर्ति कब तक उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : विद्युत एक समवर्ती विषय है और विद्युत वितरण का कार्य वितरण यूटिलिटी द्वारा किया जाता है, जो अपने-अपने राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशन में कार्य करती है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति की जाएगी। तथापि, आयोग उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए आपूर्ति के कम घंटे निर्धारित कर सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सोनभद्र क्षेत्र सहित रॉबर्ट्सगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

यूपीपीसीएल	रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति (घंटों में)
शहरी क्षेत्र	24:00
तहसील क्षेत्र	21:30
ग्रामीण क्षेत्र	18:00

भारत सरकार ने वर्ष 2014 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), अक्टूबर 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

जैसी स्कीमों एवं वर्तमान में जुलाई 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण विद्युत तक पहुँच प्रदान करने में राज्यों के प्रयासों में सहायता की है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी आबाद गैर-विद्युतीकृत संगणना गाँवों का दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया था। डीडीयूजीजेवाई और उसके पश्चात सौभाग्य के अंतर्गत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया था। दोनों स्कीमों दिनांक 31.03.2022 से बंद हो गई हैं।

आरडीएसएस के अंतर्गत, हानि न्यूनीकरण अवसंरचना एवं स्मार्ट मीटरिंग कार्यों हेतु देश भर में 2.84 लाख करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 40,739 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसमें हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों के लिए 21,782 करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 18,956 करोड़ रुपये शामिल हैं। रॉबर्ट्सगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए, 227.78 करोड़ रुपये के हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्य और 183.37 करोड़ रुपये के स्मार्ट मीटरिंग कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

स्वीकृत हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों में उपकेंद्रों का उन्नयन एवं क्षमता वृद्धि, वितरण ट्रांसफार्मरों (डीटी) की संस्थापना, डीटी का उन्नयन, पुराने कंडक्टरों को बदला जाना, फीडर विभाजन एवं पृथक्करण, नेटवर्क सुदृढीकरण तथा केबलिंग कार्य शामिल हैं।

उपर्युक्त कार्यों के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों सहित विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा। स्कीम की समाप्ति अवधि 31.03.2028 है।
